

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                  |                      |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| 16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति                                                                                                                                                                                                                                         | जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत संसमण-कौडियाला मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 से जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 4.750 किमी०) |                  |                      |                   |
| (i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                 | उत्तराखण्ड                                                                                                                                                                                  |                  |                      |                   |
| (ii) जिला                                                                                                                                                                                                                                                                 | टिहरी गढ़वाल                                                                                                                                                                                |                  |                      |                   |
| (iii) वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                                                                           | नरेन्द्रनगर वन प्रभाग                                                                                                                                                                       |                  |                      |                   |
| (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)                                                                                                                                                                                       | आरक्षित वन भूमि (हे०)                                                                                                                                                                       | सिविल सोयम (हे०) | वन पंचायत भूमि (हे०) | कुल वन भूमि (हे०) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.225                                                                                                                                                                                       | 0.000            | 0.00                 | 1.225             |
| (v) वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                   | आरक्षित/सिविल सोयम भूमि                                                                                                                                                                     |                  |                      |                   |
| 17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति:                                                                                                                                                                                                              | आरक्षित वन भूमि                                                                                                                                                                             |                  |                      |                   |
| 18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:                                                                                                                                                                                                       | संलग्न है                                                                                                                                                                                   |                  |                      |                   |
| (i) वन का प्रकार                                                                                                                                                                                                                                                          | मिश्रित वन                                                                                                                                                                                  |                  |                      |                   |
| (ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व                                                                                                                                                                                                                                           | 0.30 से 0.40 MDF                                                                                                                                                                            |                  |                      |                   |
| (iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना                                                                                                                                                                                | प्रस्तावित स्थल पर अवस्थित कुल वृक्षों एवं वास्तविक रूप से प्रभावित/बाधित होने वाले वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के संलग्नक-प्रपत्र 19 से प्रपत्र 22 पर चस्पा है।                |                  |                      |                   |
| (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                           |                  |                      |                   |
| 19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                                              | इस बाबत वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक (से०नि०) लोक निर्माण विभाग देहरादून की दो पृष्ठीय भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-33 के साथ पर चस्पा है।                                            |                  |                      |                   |
| 20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :                                                                                                                                                                           | लगभग 320 मीटर                                                                                                                                                                               |                  |                      |                   |
| 21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :                                                                                                                                                                              | कोई नहीं                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                   |
| (i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :                                                                                                                                                                        | कोई नहीं                                                                                                                                                                                    |                  |                      |                   |
| (ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अट्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) | नहीं                                                                                                                                                                                        |                  |                      |                   |



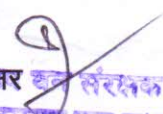


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं)                     | नहीं                                                                                                                                  |
| (iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपाबद्ध की जाएं) | नहीं                                                                                                                                  |
| (v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे                                                                                                                                                                                                  | कोई नहीं                                                                                                                              |
| 22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)                                                                             | नहीं। इस बाबत प्रस्तावक/लोक निर्माण विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-37 पर तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र चस्पा है। |
| 23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें :                                                                                                                                                                                              | कोई नहीं                                                                                                                              |
| (i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।                                                                                                                                                                         | इस बाबत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के संलग्नक प्रपत्र-14 पर चस्पा है।                          |
| (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                                                     |
| 24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |
| (i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)                                                                                                                                                                                                           | नहीं                                                                                                                                  |
| (ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही                                                                            | नहीं                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                              |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)                                                                                                                 | नहीं                                              |
| 25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :                                                                                                                                       |                                                   |
| (i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।                                                                                                  | संलग्न है।                                        |
| (ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।                   | संलग्न है                                         |
| (iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। | संलग्न है                                         |
| (iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।                                   | संलग्न है                                         |
| (v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :                                                                                                                     | 8.26 लाख                                          |
| (vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।   | संलग्न है                                         |
| 26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।  | हाँ                                               |
| 27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की निर्दिष्ट सिफारिशों                                                                                    | वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण की संस्तुति की जाती है। |

स्थान :- मुनिकीरेती।

तारीख :- 22-04-2020

हस्ताक्षर   
नाम: नन्दनगर वन प्रभाग  
मुख्य अधिकारी (वि. ग.)